UPJS100001622001

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) / ए०सी०जे०एम०, गरौठा , जनपद- झाँसी।

फौजदारी वाद सं०- 68/ 2001

सरकार बनाम विनोद कुमार।

मु०अ०सं०- 49/ 1992

धारा- 323, 324, 504, 506 भा०दं०सं०

थाना- गरौठा , जिला- झाँसी।

दिनांक- 10. 06. 2026

1. पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त **विनोद कुमार** उपस्थित आया।

2. अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिस पर अभियुक्त की फोटो चस्पा है। अभियुक्त द्वारा अन्तर्गत धारा- 323, 324, 504, 506 भा०दं०सं०, वाद सं०- 68/ 2001, थाना- गरौठा , जिला झाँसी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी / अभियुक्त सीधा साधा एवं गरीब व्यक्ति है और मुकदमा लड़ना नहीं चाहता है और स्वेच्छा से अपने जुर्म स्वीकार कर रहा है। जुर्म इकबाल के आधार पर मुकदमा निर्णीत किये जाने की याचना की गई।

3. अभियुक्त विनोद कुमार द्वारा कथन किया गया कि वह स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार कर रहा है, बिना किसी भय एवं दबाव के। अभियुक्त का बयान मुल्जिम अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने स्वेच्छा से बिना किसी डर, दवाब के अपना जुर्म स्वीकार किया है।

4. प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2001 का है। अभियुक्त स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करना चाहता है। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अपराध अन्तर्गत धारा- 323, 324, 504, 506 भा०दं०सं० संदेह से परे साबित होता है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की याचना पर धारा - 323, 324, 504, 506 भा०दं०सं०, फौजदारी वाद सं०- 68/ 2001 के मामले में दोषसिद्ध किया जाता है।

आदेश

अभियुक्त **विनोद कुमार** को उनके द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा - 323, 324, 504, 506 भा०दं०सं० के अपराध में **दोषसिद्ध** किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है तथा उसके निजी बन्धपत्र तथा जमानत प्रपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतियों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

(मयंक प्रकाश)

सिविल जज (सी०डि०) / ए. सी. जे. एम.

गरौठा , जनपद- झाँसी।

J. O. Code- UP2293

Digitally signed by MAYANK PRAKASH
Date: 2026.06.10 12:46:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>लंच बाद- दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई।</u>

अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त विनोद कुमार उपस्थित है।

अभियुक्त का कथन है कि वह निर्धन है और उसके परिवार में एकमात्र वह ही जीविका उपार्जन करने वाला सदस्य है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क है कि अभियुक्त प्रथम अपराधी है तथा परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होगा। अभियुक्त द्वारा न्यूनतम दण्ड से दण्डित करने की प्रार्थना की गयी। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया जा रहा है। अभियुक्त द्वारा इस बावत शपथ पत्र भी दिया गया है कि इस वाद के अन्य कोई आपराधिक वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। न ही अभियुक्त किसी भी दाण्डिक वाद में सजायाफ्ता है।

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात् मेरी राय है कि प्रस्तुत प्रकरण सन् 2001 का है जो लगभग 25 वर्ष पुराना है। अभियुक्त एक वृद्ध व्यक्ति है। अतः परीवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त **विनोद कुमार** को धारा- 323, 324, 504, 506 भा०दं०सं० के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत छः माह की परिवीक्षा अवधि के लिये मु०- 20,000/- रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू जिला परिवीक्षा अधिकारी झाँसी के समक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने पर इस शर्त के साथ रिहा किया जाये कि वह इस अवधि में सदाचार बनाये रखेगा तथा कोई अपराध कारित नहीं करेगा। शर्त का उल्लंघन करने पर अभियुक्त को दण्ड पर सुनवाई हेतु तलब किया जायेगा।

इस आदेश की एक प्रति अनुपालनार्थ जिला परिवीक्षा अधिकारी, झाँसी को भेजी जाये।

इस निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये। कार्यालय अनुपालन करे।

दिनांक- 10. 06. 2026

(मयंक प्रकाश)
सिविल जज (सी०डि०) / ए. सी. जे. एम.
गरौठा, जनपद- झाँसी।
J. O. Code- UP2293

आज निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक- 10. 06. 2026

(मयंक प्रकाश)
सिविल जज (सी०डि०) / ए. सी. जे. एम.
गरौठा, जनपद- झाँसी।
J. O. Code- UP2293